

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाड़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें, कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र..... राहली.....

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महादेय
उपखण्ड अधिकारी निवाड़..... दिनांक 15.5.18.....

लालाराम बनाम दीशू कौं.....

प्रकरण संख्या :- 199/2016..... अन्तर्गत धारा 88.....

महोदय, उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री लालाराम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:-

हम प्रतिवादी पक्ष इन बात पर सहमत हो हि करी का वाद स्वीकार कर रिमा जावे। हमे कोई आपहि नही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष
1. लालाराम
 - 2.
 - 3.
 - 4.

प्रतिवादी पक्ष

1. निवाड़
- 2.
- 3.
- 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....
(वादी पक्ष) नाम.....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम..... निवाड़

प्रार्थी/वादी लालाराम एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी दीशू कौं.....

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

निवाड़
पीठासीन अधिकारी
कैम्प कोर्ट राहली

मूल वद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., निवाई
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

लालाराम बनाम हीरा वर्मा

दावा बाबत :- एक इच्छावादी, दुसरी इच्छा रूपायी निवेदन

मुकदमा नम्बर :- 199/2016

निर्णय दिनांक :- 15.5.18

वादी की ओर से :- लालाराम

की व प्रतिवादी की ओर से :- हीरा वर्मा

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.5.18 को हरिताम कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S.

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद लोक अदालत की श्रवना से न्यायालय में स्वीकार किया जाव है। वादवर्षित वर्ष ख.मं. 1675), रकवा 15-00 बीघा वार्ड ग्राम शहीली में वादी की 116, प्रतिवादी से 1 की 116, प्रतिवादी से 2 की 116, प्रतिवादी से 3 की 116, प्रतिवादी से 4 की 112, प्रतिवादी से 5 की 112 तथा प्रतिवादी से 6 की 116 हिस्से का स्वतंत्र घोषित किया जाता है। तदनुसार खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

निवाई उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। रदन का नौ-इच्छा के पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही की जावे।

31.5.18
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई
'कैम्प कोर्ट शहीली'

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4.रुपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई